न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 18/2025

1. सतार पुत्र जानमोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी डुंगराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

—अपीलांट

बनाम

1. वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी भादरा तहसील भादरा।
2. सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1

निर्णय दिनांकः—29.09.2025

अपीलांट सतार पुत्र जानमोहम्मद जाति मुस्लिम निवासी डुंगराना तहसील भादरा विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ दिनांक 17.04.2025 प्रकरण संख्या 113/2024 निरस्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. साईड प्रभारी कर्मचारी वन विभाग भादरा ने एक रिपोर्ट पेश की कि अपीलांट ने वन विभाग की भूमि रोही मोजा डुंगराना तहसील भादरा के ख.नं. 587 की 12.6460 हैक्टेयर भूमि मे से 90 फीट X50 फीट भूमि पर आवासीय मकान बनाकर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है उसी रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट न. 1 ने मातहत अदालत में रिर्पोट पेश कर निवेदन किया कि गैरसायल अपीलांट के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को जबाब पेश करने बाबत नोटिस जारी किया नियत तारीख को गैरसायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब नोटिस पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:03 IST
Reason: SelfAttested

Continue............

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

किया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरित है गैरसायल ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है जबकि वन विभाग की भूमि के ख.नं. 587 के चिपते हुए ख.नं. 945/588 की भूमि गैरसायल की खातेदारी भूमि है जिसमें मकान निर्माण कर रखा है क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा कोई पैमाईस नहीं कि गई। यदि कोई पैमाईस करवायी गई है तो वह एकतरफा है, जिसमें गैरसायल की भूमि की कोई पैमाईस नहीं कि गई रिपोर्ट राजनैतिक दबाब में की गई ना ही पैमाईस के समय गैरसायल को सूचना दी गई सारी कार्यवाही राजनैतिक है जो गैरसायल को परेशान करने के लिए की गई, इसलिए प्रकरण निरस्त योग्य है।

2. गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से सारी स्थिति स्पस्ट होने के बावजूद भी दिनांक 17.04.2025 को अपीलांट के खिलाफ मालगुजारी का 50 गुणा कुल 20 रूपये एवं भूखण्ड माप 90 फीट x 50 फीट आवासीय मकान से बेदखल कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने के आदेश पारीत कर दिया जो किसी भी तरीके से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट की पुरानी खातेदारी भूमि है, जिसके चिपते हुए वन विभाग की भूमि है, जिस पर अपीलांट ने कोई मकान निर्माण नहीं किया। सिर्फ साईड प्रभारी कर्मचारी ने राजनैतिकवश स्पष्ट रिपोर्ट नहीं की है और उसी रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार की जांच किये विधि विरूद्व निर्णय क़िया है, जो निरस्त योग्य है।

3. अपीलांट की पुरानी खातेदारी भूमि है जिसके चारो तरफ पुरानी सींव है, उसी सीमा के अन्दर मकान निर्माण किया है, जो काफी पुराना है, वन विभाग द्वारा कोई पेमाईस नहीं की गई यदि कोई पैमाईस करवायी गई है तो वह एकतरफा है जिसमें गैरसायल की भूमि की कोई पैमाईस नहीं कि गई सिर्फ अन्दाजन रिपोर्ट की है, उसी को आधार मानकर मातहत अदालत ने विधि विरूद्व एवं मनमाना निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य हैं।

4. मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नही आता है इसलिए निरस्त योग्य है।

5. साईड प्रभारी कर्मचारी ने राजनैतिक व्यक्ति [illegible] पर सिर्फ अपीलांट से आपसी नाराजगी होने के कारण [illegible] रिपोर्ट पर बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना किसी [illegible] मातहत अदालत ने विधि विरूद्व एकतरफा निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:03 IST
Reason: SelfAttested

6. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नही आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Continue............

7. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में अपीलांट को अतिक्रमि मानकर निर्णय किया है जबकि अपीलांट ने कभी अतिक्रमण नहीं किया, उसके बावजूद भी अतिक्रमी मानकर कठोर निर्णय किया, जो साजिसाना है, सिर्फ अपीलॉन्ट को परेशान करने के लिए विधि विरूद्व निर्णय किया है, जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज योग्य हैं।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 17.04.2025 खारिज करने का आदेश फरमावें ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस संख्या– 1 ता 3 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1, 2 स्वंय उपस्थित हुये एंव रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वन विभाग द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई लेकिन ग्राम डुंगराना सिद्वमुख नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत होनें पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जिसका अधिकार क्षेत्र तहसीलदार को है। वन विभाग को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही करनें का अधिकार नहीं है। इसलीए वन विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय निर्णय किया, जो निरस्त योग्य है। वन विभाग द्वारा कोई पैमाईस नहीं करवाई गई। यदि कोई पैमाईस करवाई गई तो एकपक्षीय करवाई गई है, उसमें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है एंव वन विभाग द्वारा पूर्व में पैमाईस करवाई थी, जिसके मुताबिक अपनी सीमा में तारबंदी की हुई एंव खाई खुदवाई गई। उससे हटकर हमारी खातेदारी भूमि में मकान निर्माण किये हुये है। ग्राम के बहुत सारे लोगो द्वार मकान निर्माण कर रिहायस की जा रही है लेकिन अपीलांट पर राजनीतिवश कार्यवाही की जा रही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पारित निर्णय अपास्त किया जा कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि वन विभाग द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी एंव वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सीमाज्ञान किया गया। टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान के उपरान्त ही वन विभाग द्वारा वन विभाग की भूमि के अतिक्रमियों को हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया। वन विभाग द्वारा अपने

Continue............

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

क्षेत्राधिकार में जीपीएस मशीन द्वारा पैमाईस करवाकर कार्यवाही की गई। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया गया। क्षेत्रिय वन अधिकारी भादरा, साईट इन्चार्ज एंव मौका पंचनामा की रिपोर्ट, नजरी नक्शा के अनुसार 0.05है0 भूमि पर अवासीय मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। उक्त अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक हनुमानगढ की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 29/9/25 को सरेइजलास सुनाया गया

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.10.31 15:43:03 IST
Reason: SelfAttested